संख्या-51/2023/1449/23-10-22-12(सेतु)/22

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत 09 लघु सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें : -

क्रम सं0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	1223/प्रा0-आगणन-शाहजहॉपुर/कबरा सलेमपुर/सेतु-6/22-23 दिनांक 18.11.2022
2	689/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/22 दिनांक 18.11.2022
3	690/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/2022 दिनांक 18.11.2022
4	1360/प्रा0-आगणन-बिजनौर/शेरकोट नंदगांव/सेतु-6/22-23 दिनांक 03.12.2022
5	1361/प्रा0-आगणन-बरेली/सिरौंधी अंगदपुर/सेतु-6/22-23 दिनांक 03.12.2022
6	1362/प्रा0-आगणन-बिजनौर/रहटौली से जुझैला/सेतु-6/22-23 दिनांक 03.12.2022
7	1335/प्रा0-आगणन-बिजनौर/रायपुर मलिहाबाद/सेतु-6/22-23 दिनांक 01.12.2022
8	1334/प्रा0-आगणन-बिजनौर/अगरा(कोट देवता)/सेतु-6/22-23 दिनांक 01.12.2022
9	1338/प्रा0-आगणन-पीलीभीत/गोमती उदगम स्थल/सेतु-6/22-23 दिनांक 01.12.2022

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 09 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 2837.19 लाख (रूपये अटठाईस करोड़ सैंतीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से कुल रू0 1529.34 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ उनतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 20022-23 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 20022-23 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में विकास खण्ड मिर्जापुर के अंतर्गत ग्राम कबरा सलेमपुर सम्पर्क मार्ग एवं बीच में पड़ने वाली अरिल नदी पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	562.88	221.75	59.69	281.44	लो0नि0वि0
2	उन्नाव	जनपद उन्नाव के विकास खण्ड–गंजमुरादाबाद में ग्राम रोशनाबाद के निकट सई नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	601.05	236.78	63.74	300.52	लो0नि0वि0
3	सीतापुर	जनपद सीतापुर में विकास खण्ड एलिया में भेलाया गोडया सम्पर्क मार्ग पर पिरई नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य ।	558.28	219.93	59.21	279.14	लो0नि0वि0
4	बिजनौर	जनपद बिजनौर में शेरकोट नन्दगांव मार्ग पर नानक के बाग के पास 3x3 मी0 स्पान की 2 दरों वाली बाक्स कल्वर्ट व पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	52.55	33.12	8.92	42.04	लो0नि0वि0
5	बरेली	जनपद बरेली में सिरौंधी अंगदपुर से गोरा मार्ग पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	149.04	93.94	25.29	119.23	लो0नि0वि0
6	बिजनौर	जनपद बिजनौर में रहतौली से जुझैला मार्ग पर कडूला नदी पर 5x6 मी0 स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	321.69	126.73	34.12	160.85	लो0नि0वि0
7	बिजनौर	जनपद बिजनौर में रायपुर मलिहाबाद से सेढ़ा मार्ग पर कडूँला नदी पर 3x3 मी0 स्पान की 2 दरों की बॉक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त् पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	167.56	105.62	28.43	134.05	लो0नि0वि0
8	बिजनौर	जनपद बिजनौर में ग्राम अगरा (कोट देवता) मन्दिर वाले रास्ते छोईया नदी पर 4x4 मी0 स्पान की 5 दरों वाली बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त् पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	207.83	81.87	22.04	103.91	लो0नि0वि0
9	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में गोमती उदगम स्थल पर आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	216.31	85.22	22.94	108.16	लो0नि0वि0
		योग -	**2837.19**	**1204.96**	**324.38**	**1529.34**	

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना के यूटीलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्य 03 माह में पूर्ण करने सहित परियोजना को कुल 09 माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(9) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रयोजना में भूमि अधयाप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रयोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(14) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के अधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(16) विभागाध्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 12,04,96,000 (रुपये बारह करोड़ चार लाख छियानबें हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 3,24,38,000 (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख अडतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंम्पयूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-8-433/दस-2022-23,दि0 14-01-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-51/2023/1449/23-10-22-12(सेतु)/22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in